(वाद संख्या–**2899/17**)

18.02.2020

वाद संख्या–BHRC/Comp-2899/17 के परिवादी, सन्नी चावला, तथा वाद संख्या–BHRC/Comp-2227/17 के परिवादी, नवीन कुमार, के साथ उपस्थित हैं।

उपरोक्त दोनों संचिकाएं, लखीसराय पुलिस द्वारा उपरोक्त दोनों संचिकाओं के परिवादियों को मिथ्या रूप से फंसाने तथा आयोग के समक्ष उनका भ्रामक आपराधिक इतिहास प्रतिवेदित करने से संबंधित है।

चूंकि उपरोक्त कथित दोनों संचिकाएं समान तथ्यों पर संस्थित की गयी है। अतः उन दोनों संचिकाओं को सम्मेलित किया जाता है तथा समामेलित उपरोक्त दोनों संचिकाओं में को BHRC/Comp-2899/17 के रूप में जाना जायेगा व मूल आदेश संचिका संख्या– BHRC/Comp-2899/17 में पारित किया जायेगा।

परिवादीगण के दोनों परिवाद पत्रों तथा BHRC/Comp-2899/17 के अंतर्गत पुलिस अधीक्षक, लखीसराय द्वारा अपने पत्रांक 3194, दिनांक 04.07.2019 तथा पूर्व में समर्पित समस्त प्रतिवेदनों का अवलोकन किया।

परिवादीगण का कथन है कि परिवाद सन्नी चावला के पिता, इन्द्रजीत सिंह, द्वारा संस्थित लखीसराय (कवैया) थाना कांड संख्या–109/2004, लखीसराय पुलिस तथा परिवादीगण के बीच विवाद की मूल जड़ है जिसमें पुलिस ने अन्वेषणोपरान्त, घटना को सत्य लेकिन सूत्रहीन पाकर अंतिम प्रतिवेदन समर्पित कर दिया, जिसे न्यायालय द्वारा स्वीकार भी कर लिया गया। तत्पश्चात् दोनों परिवादीगण के विरूद्ध अनुसूचित जाति/जनजाति थाना कांड संख्या–12/17 तथा लखीसराय (कवैया) थाना कांड संख्या–203/16 संस्थित किया गया। अनुसूचित जाति/जनजाति थाना कांड संख्या–12/17 में पुलिस द्वारा घटना को असत्य पाकर अंतिम प्रतिवेदन समर्पित किया गया, जिसे न्यायालय द्वारा स्वीकार कर लिया गया, जबकि लखीसराय (कवैया) थाना कांड संख्या–203/16 में दोनों परिवादियों के विरूद्ध आरोप–पत्र समर्पित किया गया है, जो वर्तमान में संज्ञानोपरान्त लखीसराय स्थित न्यायिक दंडाधिकारी, प्रथम श्रेणी के न्यायालय में विचारणार्थ लंबित है। परिवादी नवीन कुमार के विरूद्ध एक और लखीसराय (कवैया) थाना कांड संख्या–77/17, दिनांक 01.03.2017 में भी पुलिस द्वारा अन्वेषणोपरान्त आरोप–पत्र समर्पित किया जा चुका है लेकिन न्यायालय द्वारा

आरोप–पत्र को फिलहाल स्वीकार न कर, पुलिस को पुनर्अनुसंधान करने का निदेश दिया गया है।

पूर्व में आयोग द्वारा दोनों परिवाद पत्रों की सुनवाई के क्रम में दोनों परिवादियों के आपराधिक इतिहास के संबंध में पुलिस अधीक्षक, लखीसराय से प्रतिवेदन की मांग की गयी। पुलिस अधीक्षक, लखीसराय द्वारा अपने पत्रांक 4038/गो0, दिनांक 02.10.2017 तथा 3021/गो0, दिनांक 29.07.2017 द्वारा क्रमशः परिवादी सन्नी चावला तथा परिवादी नवीन कुमार का आपराधिक इतिहास क्रमशः श्री पंकज कुमार, तत्कालीन अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, लखीसराय व श्री पन्ना कुमार सिंह, तत्कालीन पुलिस उपाधीक्षक (मु0), लखीसराय के प्रतिवेदन के आधार पर आयोग को समर्पित किया गया।

परिवादी सन्नी कुमार चावला के आपराधिक इतिहास का उल्लेख करते हुए अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, लखीसराय द्वारा आयोग को प्रतिवेदित किया गया कि परिवादी अन्य कांडों के अतिरिक्त **लखीसराय (कवैया) थाना कांड संख्या–313/16, दिनांक 30.06.2016** तथा **लखीसराय (कवैया) थाना कांड संख्या–482/16, दिनांक 19.09.2016** का भी अभियुक्त हैं तथा उन दोनों कांडों में पुलिस द्वारा अन्वेषणोपरान्त क्रमशः आरोप–पत्र संख्या 145/16, दिनांक 30.06.2016 व आरोप–पत्र संख्या–231/16, दिनांक 31.12.2016 समर्पित किया जा चुका है जबकि **वास्तविकता यह है कि उपरोक्त दोनों कांडों से परिवादी सन्नी चावला का कोई संबंध नहीं है। न तो परिवादी सन्नी चावला उपरोक्त दोनों कांडों के प्राथमिकी अभियुक्त हैं और न ही आरोपपत्रित अभियुक्त ही हैं।**

जहां तक परिवादी नवीन कुमार के आपराधिक इतिहास का प्रश्न है। पुलिस अधीक्षक, लखीसराय न अपने प्रतिवेदन में आयोग को सूचित किया है कि परिवादी नवीन कुमार अन्य कांडों के अतिरिक्त **लखीसराय (कवैया) थाना कांड संख्या–313/16, दिनांक 30.06.2016** तथा **लखीसराय (कवैया) थाना कांड संख्या–782/16, दिनांक 19.09.2016** के भी अभियुक्त हैं तथा पुलिस द्वारा अन्वेषणोपरान्त उन दोनों कांडों में क्रमशः आरोप–पत्र संख्या–147/16, दिनांक 31.07.2016 व आरोप–पत्र संख्या–231/16 समर्पित किया जा चुका है **जबकि वास्तविकता यह है कि परिवादी नवीन कुमार उक्त दोनों कांडों में न तो प्राथमिकी अभियुक्त हैं और न ही आरोपपत्रित अभियुक्त ही हैं।**

पूर्व में आयोग द्वारा पुलिस अधीक्षक, लखीसराय से परिवादीगण के आपराधिक इतिहास के संबंध में आयोग के समक्ष उपरोक्त उल्लेखित गलत प्रतिवेदन समर्पित करने हेतु प्रतिवेदन की मांग की गयी थी।

पुलिस अधीक्षक, लखीसराय द्वारा आयोग को समर्पित प्रतिवेदन (पत्रांक 3194/गोपनीय, दिनांक 04.07.2019) में इस संबंध में कोई स्पष्टीकरण नहीं किया गया। अपितु मात्र प्रसंगाधीन कांडों की अद्यतन स्थिति के संबंध में प्रतिवेदित किया गया।

पुलिस अधीक्षक, लखीसराय से इस संबंध मे कारणपृच्छा की मांग की जाय कि उनके द्वारा किन परिस्थितियों में उपरोक्त दोनों परिवादीगण के आपराधिक इतिहास के संबंध में गलत तथ्यों के आधार पर मिथ्या प्रतिवेदन समर्पित किया गया। अगर पुलिस अधीक्षक, लखीसराय के द्वारा दिनांक 09.06.2020 के पूर्व इस संबंध मे कारणपृच्छा आयोग के समक्ष दाखिल नहीं किया जाता है तो आयोग को उनके विरूद्ध भा0द0सं0 की धारा 176 के अंतर्गत कारित अपराध के लिए आपराधिक कार्रवाई प्रारंभ करने के लिए बाध्य हो जाना पड़ेगा।

कार्यालय, पुलिस अधीक्षक, लखीसराय से कारणपृच्छा से संबंधित माँग पत्र के साथ आज पारित आदेश की प्रति भी संलग्न कर दी जाय।

उपरोक्त दोनों परिवादियों की उपस्थिति में आदेश पारित किया गया है। अतः अगली निश्चित तिथि की सूचना के संबध में अलग से उन्हें नोटिस निर्गत किये जाने की आवश्कयता नहीं है।

संचिका दिनांक 15.06.2020 को उपस्थापित की जाय।

ह0/–

(उज्ज्वल कुमार दुबे)
कार्यकारी अध्यक्ष

सहायक निबंधक